संख्याः—पीसीएच—एचए (1) 4/2018— गौरव पट्ट— 30380-469
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः—

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

सेवा में,

(1) समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

(2) समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला—9 दिनांक 7.6., 2018

विषयः— ग्राम पंचायतों में "ग्राम गौरव पट्ट" लगाने बारे दिशा—निर्देश।

महोदय/महोदया,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 के बजट अभिभाषण में निम्न घोषण की गई हैः—

"अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में हर पंचायत का अनुठा इतिहास है और उसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जन्म लिया है। मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि हर पंचायत चरणबद्ध एक पंचायत "ग्राम गौरव पट्ट" लगाया जाएगा जिसमें उस पंचायत का इतिहास तथा वहां पैदा हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम/योगदान होगा। इन गौरव पट्टों का रख—रखाव स्थानीय पंचायत द्वारा किया जाएगा।"

अतः उपरोक्त की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में "ग्राम गौरव पट्ट" लगाने हेतु निम्नलिखित दिशा—निर्देश जारी किए जाते हैः—

1. "ग्राम गौरव पट्ट" में ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अनूठे इतिहास जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, राजनैतिक ईत्यादि महत्वपूर्ण गतिविधियों का समावेश करेगी।
2. ग्राम पंचायत अपनी पंचायत से सम्बन्धित ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करेगी जिनका ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/ जिला तथा राज्य व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो।

3. प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम की सूची को **अनुलग्नक–क** अनुसार तैयार करने का सुझाव दिया जाता है।
4. ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त ही "ग्राम गौरव पट्ट" में ग्राम पंचायत का इतिहास व प्रतिष्ठित व्यक्ति (यों) के नाम (मों) व उनके योगदानों को दर्शाया जाएगा।
5. उक्त गौरव पट्टों को तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत अपनी निधि में से व्यय करेगी।
6. इन गौरव पट्टों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की ग्राम सभा में अपडेट किया जाएगा।

भवदीय,

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः–पीसीएच–एचए (1) 4/2018 30470–85 शिमला–9 दिनांक 7.6. 2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–
1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त शाखा प्रभारी, राज्य मुख्यावास।

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

अनुलग्नक—क

ग्राम पंचायतों में "ग्राम गौरव पट्ट" तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों को सम्मिलित करने हेतु सुझाव सूचीः—

1. पुरूस्कार प्राप्त सैनिक / पुलिस कार्मिक।
2. सशस्त्र बल सदस्य / पुलिस कार्मिक जो सेवा के दौरान शहीद हुए हों।
3. विभागाध्यक्ष या उससे उपर तथा सेना में कर्नल या उससे उपर।
4. राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय खिलाडी / कोच।
5. राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त अध्यापक या अन्य कर्मचारी।
6. ग्राम पंचायत से सम्बन्धित मन्त्री / सांसद / विधायक / जिला परिषद् अध्यक्ष / पंचायत समिति अध्यक्ष।
7. ग्राम पंचायत से सम्बन्धित राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित कृषक / बागवान।
8. केन्द्रीय / राज्य स्तरीय विभाग द्वारा किसी भी कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति।
9. डॉक्टर / ईंजिनीयर / वैज्ञानिक / वास्तुकार ईत्यादि पेशेवर जिन्होंने अपने पेशे में प्रतिष्ठा प्राप्त की है।
10. विश्वविद्यालय / बोर्ड से मैरिट प्राप्त विद्यार्थी।
11. ऐसे व्यक्ति जिसने लोक सम्पत्ती जैसे विद्यालय / चिकित्सालय / सामुदायिक भवन / मन्दिर ईत्यादि के लिए भूमि दान / पर्याप्त धन प्रदान किया हो।
12. कोई अन्य व्यक्ति जो ग्राम सभा द्वारा सूची मे सम्मिलित करने हेतु पात्र माना जाए।